

"कार्यालय-ज्ञाप"

शासनादेश सं0-43/XXX(2)/2013-3(1)2007 दिनांक-09.01.2013, शासनादेश सं0-153/XXX(2)/2015-3(2) 2010 दिनांक-09.04.2015, शासनादेश संख्या- 1333/11(1)/15-190(PWD) 01 टी0सी0-IV दिनांक-01.09.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं शा0 सं0-94/XXX(2)/2020-55(47)/2004 दिनांक-18.03.2020 के कम में खण्डीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8, वेतनमान रू0 47600-151100 (पुराना वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड पे-4800) में वास्तविक योगदान की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश निम्नानुसार एतद्वारा पारित किये जाते हैं-

क्र0सं0	ज्ये0क्र0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान खण्ड का नाम	तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	701	श्री उपेन्द्र लाल शाह	प्रा0ख0 टिहरी	प्रा0ख0 देहरादून
2	704	श्री श्याम लाल शाह	प्रा0ख0 देहरादून	नि0ख0 देहरादून
3	705	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रा0ख0 भटवाड़ी	अ0ख0 कीर्तिनगर
4	706	श्री रविन्द्र सिंह मनराल	नि0ख0 ए0डी0बी0 नैनीताल	नि0ख0 अस्कोट
5	708	श्री संजय कुमार रतूड़ी	पी0एम0जी0एस0वाई0 ख0 नरेन्द्रनगर	नि0ख0 बैजरो
6	709	श्री सुरेन्द्र सिंह	नि0ख0 हल्द्वानी	नि0ख0 खटीमा
7	710	श्री विक्रम सिंह रुहेला	नि0ख0 चम्बा	प्रा0ख0 रानीखेत
8	712	श्री अवतार लाल कोबियाल	पी0आई0यू0 ख0 बद्रीनाथ	रा0मा0ख0 देहरादून
9	713	श्री हरी राम	नि0ख0 थराली	प्रा0ख0 रुद्रपुर
10	714	श्रीमती अंजुम निशां	रा0मा0ख0 रुद्रप्रयाग	नि0ख0 गुप्तकाशी

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिक को पदोन्नत पद पर नव तैनाती खण्ड में दि0-10.11.2023 तक योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न करने पर यह पदोन्नति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। पदोन्नति पद त्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-223/XXX(2)/2020-30(22)/2018 दि0-07 अगस्त, 2020 के प्राविधान लागू होंगे तथा वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-88085/xxvii(7)/E-43634/2022, दिनांक-03 जनवरी, 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार "वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।" उक्त पदोन्नति योगदान की तिथि से मान्य होगी।

आज्ञा से,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 2- मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, लो0नि0वि0,।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी.....

(Signature)

कमशः 2 पर

- 5- अधिशासी अभियन्ता खण्ड, लो0नि0वि0, को सम्बन्धित कार्मिकों की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिकों की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक श्री.....
- 6- गार्ड पत्रावली।

(इं0 ओम प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता स्तर-1(अधिष्ठान)
21/11/23